(3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 88/2025 दायर दिनांकः 11.06.2025

उनवान

1— विष्णु पुत्र पूरा जाति बारेट नि. सिपोई गुजरान तहसील रायपुर
2— श्यामाबाई पुत्री पूरा जाति बारेट नि. सिपोई गुजरान तहसील रायपुर
3— शान्तीबाई पुत्री पूरा जाति बारेट नि. सिपोई गुजरान तहसील रायपुर
4— सीताबाई पुत्री केशाराम जाति बारेट नि. सिपोई गुजरान तहसील रायपुर
5— रतन पुत्र केशाराम जाति बारेट नि. सिपोई गुजरान तहसील रायपुर
6— मोटी पुत्री केशाराम जाति बारेट नि. सिपोई गुजरान तहसील रायपुर
7— मांगीबाई पुत्री केशाराम जाति बारेट नि. सिपोई गुजरान तहसील रायपुर
8— भगवानसिंह पुत्र कालु जाति बारेट नि. सिपोई गुजरान तहसील रायपुर
9— बद्री पुत्र पूरा जाति बारेट नि. सिपोई गुजरान तहसील रायपुर
10— न्यालीबाई पुत्र पूरा जाति बारेट नि. सिपोई गुजरान तहसील रायपुर
11— दुला पुत्र केशाराम जाति बारेट नि. सिपोई गुजरान तहसील रायपुर
12— जसवंत पुत्र कालु जाति बारेट नि. सिपोई गुजरान तहसील रायपुर
13— छगन पुत्र केशाराम जाति बारेट नि. सिपोई गुजरान तहसील रायपुर
14— घीसीबाई पत्नी पूरा जाति बारेट नि. सिपोई गुजरान तहसील रायपुर
15— अनीता पुत्री पूरा जाति बारेट नि. सिपोई गुजरान तहसील रायपुर

— प्रार्थीगण

बनाम

1— कमलाबाई पुत्री नन्दा जाति मेघवाल नि. दिवलखेड़ा तहसील रायपुर
2— गीताबाई पुत्री नन्दा जाति मेघवाल नि. चछलाव तहसील सुनेल
3— कृष्णाकुमारी पुत्री शारदाबाई जाति ढोली नि. सिपोई गुजरान तह. रायपुर
4— जसवंत सिंह पुत्र मांगीबाई जाति ढोली नि. सिपोई गुजरान तहसील रायपुर
5— भगवानसिंह पुत्र मांगीबाई जाति ढोली नि. सिपोई गुजरान तहसील रायपुर
6— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह० रायपुर जिला झालावाड़ राज

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति अभिभाषक :—
अभिभाषक प्रार्थीगण — श्री विनोद शर्मा
अप्राथी सं. 1 से 5 — एकतरफा
अप्राथी सं. 6 — पैरोकार सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:15:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(4)

आदेश

दिनांक : 13.03.2026

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम सिरपोई गुजरान पटवार हल्का माथनिया मू०अभि०नि० कालीतलाई तह० रायपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 की खाता संख्या नया 137 पुराना 122 के खसरा नं. 601 रकबा 3.4398 है० आराजी स्थित है जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। यह कि खसरा नं. 601 रकबा 3.4398 है0 में प्रार्थीगण नक्शा में तरमीम कराकर शुद्धी कराना चाहते है। यह कि प्रार्थीगण के खसरा नं. 601 रकबा 3.4398 है० नक्शा तरमीम के समय राजस्व कर्मचारी के द्वारा इन्द्राज वक्त त्रुटिवंश नक्शे में गलत जगह दर्ज हो गया है। वर्तमान में जहां ये खसरा नं. 601 नक्शे में दर्ज है वह गलत दर्ज हो रहा है खसरा नं. 601 के पास में खसरा नं. 772/601 व 781/601 जो नक्शे में दर्शा रखा है वह खसरा नं. 587, 584 व 588/704 से पूरब की दिशा में है और अप्रार्थीगण का कब्जा भी यहीं है। मौके पर प्रार्थीगण वास्तविक जगह काबिज है परन्तु नक्शे में गलत तरीमीम की वजह से खसरा नं. 772/601 व 781/601 गलत जगह दर्ज हो गया है और अप्रार्थीगण के यह खसरा नं. 587, 584 व 588/704 के पूरब में नक्शे में दर्ज होने चाहिए। यह कि उक्त संबंध में राजस्व रिकार्ड नक्शा हल्का पटवारी माथनिया व रैवन्यु कर्मचारी से चाहा गया तो उन्होने माननीय न्यायालय द्वारा रिपोर्ट मांगने पर प्रस्तुत करने के लिए कहा इस कारण उक्त संबंध में आवश्यक नक्शा रिकार्ड रैवन्यु कर्मचारी से तलब किया जाना आवश्यक है। यह कि उपरोक्त दर्ज राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज के दौरान राजस्व कर्मचारी की भुल की वजह से रह ही है या दर्ज हुई है। जो न्यायहित में दुरुस्त योग्य है। यह कि प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी तथा कानूनगो से उक्त संबंध में दुरुस्ती के लिये कहा तो उन्होने माननीय न्यायालय में यह कार्यवाही करने की सलाह दी इस कारण यह प्रार्थना पत्र सादर पेश किया है। यह कि प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य व माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत है [illegible] प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम सिरपोई गुजरान पटवार हल्का माथनिया मू०अभि०नि० कालीतलाई तह० रायपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 की खाता संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:15:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

नया 137 पुराना 122 के खसरा नं. 601 रकबा 3.4398 है0 में राजस्व रिकार्ड नक्शे में संशोधन कर सही जगह दर्ज करवाये व खसरा नं. 772/601 व 781/601 को जहां पर अप्रार्थीगण काबिज वहां पर नक्शे में तरमीम करने के आदेश प्रदान करने की कृपा की जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी सं. 1 से 5 बावजूद सूचना नियत तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहे जिससे मुताबिक आदेशिका दिनांक 16.09.2025 से अप्रार्थी सं. 1 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

3. पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रांक 2412 दिनांक 11.11.2025 को जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि बिन्दु संख्या 1 स्वीकार है। ग्राम सिरपोई गुजरान पटवार मण्डल माथनिया की सम्वत 2073–76 की खाता संख्या 137 के खसरा संख्या 601 रकबा 3.4398 हैक्टेयर में प्रार्थीगण सहखातेदार है। बिन्दु संख्या 2 वादी से सम्बंधित है। बिन्दु संख्या 3 में वर्णित तथ्य साबित करने का भार वादी स्वयं वादी पर है। हल्का पटवारी माथनिया की जाँच रिपोर्ट अनुसार बन्दोबस्त जमाबन्दी के समय के खसरा संख्या 601 एवं 601/706 नक्शा लठ्ठा में संलग्न पटवारी रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार दर्ज है थे। नामान्तरकरण संख्या 15 निर्णय दिनांक 04.07.1975 से खसरा संख्या 601 प्रार्थीगण के पिता/दादा केशाराम पिता बालाराम को नियमन हुई थी। खसरा संख्या 601/706 में से 2–05 बीघा नामान्तरकरण संख्या 153 निर्णय दिनांक 05.04.1983 से भुवाना पुत्र दोला को एवं नामान्तरकरण संख्या 155 निर्णय दिनांक 05.04.1983 से नन्दा पुत्र हीरा को आवंटित हुई थी। परन्तु वन टू वन मेपिंग एवं सेग्रीगेशन के समय सहवन से उक्त तीनों खसरों को सम्मिलित कर वर्तमान भू नक्शा अनुसार तरमीम कर दी गयी। बिन्दु संख्या 4 वादी से सम्बंधित है। बिन्दु संख्या 5 वादी से सम्बंधित है। बिन्दु संख्या 6 माननीय न्यायालय से सम्बंधित है। अतः जवाब मय जांच रिपोर्ट सादर श्रीमान की सेवा में प्रेषित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:15:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

4. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम सिरपोई गुजरान तहसील रायपुर के खाता सं. 33, 137, 166 की जमाबंदी सं. 2073–76, खसरा नक्शा दिनांक 10.06.2025, लटठा नक्शा ट्रेस एवं नक्शा किरत्तवार दिनांक 07.10.1966 पेश किया।

5. पेरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब के समर्थन में पटवारी हल्का माथनिया की रिपोर्ट, खाता सं0 33, 137, 166 की जमाबंदी सं. 2073–76, नामा.सं. 155 दिनांक 05.04.1983, एवं नामान्तरण सं0 153 दिनांक 05.04.1983 की नकल पेश की गई है

6. प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सिरपोद्र गुजरान हल्का माथनिया की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 601 रकबा 3.4398 है. भूमि प्रार्थीगण के खाते दर्ज है जबकी ख.नं. 772/601 रकबा 0.5311 है0 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एवं खसरा नं. 781/601 रकबा 0.5691 है0 अप्रार्थी सं0 3 से 5 के खाते दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम सिरपोई गुजरान के नक्शा लटठा अनुसार ख.नं. 601 दक्षिण दिशा में एवं खसरा नं. 781/601 व 772/601 उत्तर दिशा में अंकित है। ग्राम सिरपोई तहसील पिड़ावा के नक्शा किरत्तवार से स्पष्ट है कि खसरा नं0 601 के पश्चिम में खसरा नं 373 व उत्तर में खसरा नं 601/706 स्थित है खसरा नं 601/706 में से 1983 में भुवाना पुत्र भोला चमार को एवं नंदा पुत्र हिरा चमार को आवंटन हुई थी। आगे तर्क किया कि मौके पर भी प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं 601 के लगवा उत्तर दिशा में अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नं 781/601 व 772/601 स्थित है और अप्रार्थीगण यही पर काबिज कास्त है लेकिन तहसील रायपूर को ऑनलाईन करते समय सेग्रीगेसन के दौरान तत्कालीन राजस्व कार्मिकों ने बिना किसी विधिक अधिकार के प्राथीगण के राजस्व नक्शे की तरमीम को परिवर्तित कर गलत दर्ज कर दिया गया है जिससे अनावश्यक रूप से वाद विवाद उत्पन्न होने की संभावना है। आगे तर्क किया की अप्रार्थीगण को भी तरमीम शुद्धि में कोई आपत्ति नही है और इस लिए अप्रार्थीगण बावजुद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहे है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:15:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तरमीम दुरूस्त की जावे।

7. पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर अपनी बहस में जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया है कि मूल खसरा न 601 मे से दिनांक 04.07.1975 को प्रार्थी के पिता/दादा बालाराम कों जरिये नामान्तरण सं0 15 नियमन हुई थी जबकि उत्तर में सिवायचक भूमि खसरा नं 601/706 शेष रही थी जिसमें से जरिये नामान्तरण सं. 153 दिनांक 05.04.1983 से 02–05 बीघा भूमि भुवाना पुत्र भोला एवं जरिये नामान्तरण सं0 155 दिनांक 05.04.1983 से 02–02 बीघा नंदा पुत्र हिरा चमार को आवंटन हुई थी। सेग्रीगेसन के दौरान सहवन से वन टू वन मैपिंग में तरमीम में गलती हो गई है जिसे दुरूस्त किया जावे।

8. प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया गया। ग्राम सिरपोइ गुजरान हल्का माथनिया की हाल जमाबंदी सं0 2073–76 के अनुसार वादग्रस्त आराजी ख.नं. 601 रकबा 3.4398 है. भूमि प्रार्थीगण के खाते दर्ज है जबकी ख.नं. 772/601 रकबा 0.5311 है0 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एवं खसरा नं. 781/601 रकबा 0.5691 है0 अप्रार्थी सं0 3 से 5 के खाते दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण द्वारा पेश ग्राम सिरपोई तहसील पिड़ावा के नक्शा किस्तवार के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नं 601 के लगवा उत्तर–पूर्व दिशा में खसरा नं 601/706 स्थित है जबकि पश्चिम दिशा में खसरा नं 373 स्थित है। खसरा नं 601/706 के लगवा उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः खसरा नं 595, 600, 598, 598/705, 588, 588/704, 587 व 584 स्थित है जबकि हाल के ऑनलाईन नक्शे में खसरा नं 601 के लगवा उत्तर दिशा में खसरा नं 601/706 नही होकर क्रमशः खसरा नं 595, 600, 598, 598/705, 588, 588/704, 587 व 584 स्थित है और पश्चिम दिशा में खसरा नं 772/601 व 781/601 स्थित है। तहसीलदार [illegible] के नामान्तरण सं0 153 दिनांक 05.04.1983 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नं 601/706 रकबा 04–07 बीघा मे से 02–05 बीघा दिनांक 15.01.1983 को भुवाना पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 16:15:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

भोला चमार को एडवाईजरी समिति द्वारा केम्प माथनिया में आवंटित होकर गेरखातेदारी में दर्ज हुई थी। इसी प्रकार नामान्तरण सं0 155 दिनांक 05.04.1983 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नं 601/706 रकबा 04–07 बीघा मे से 02–02 बीघा दिनांक 15.01.1983 को नंदा पुत्र हिरा चमार को एडवाईजरी समिति द्वारा केम्प माथनिया में आवंटित होकर गेरखातेदारी में दर्ज हुई थी। अत स्पष्ट है कि नंदा व भुवाना चमार को मूल खसरा नं 601/706 रकबा 04–07 बीधा में से आवंटन हुई थी और मूल खसरा नं 601/706 प्रार्थीगण के खसरा नं 601 के लगवा उत्तर पूर्व में स्थित था। अप्रार्थी सं0 01 व 02 नंदा चमार के वारिसान और अप्रार्थी सं0 03 से 05 भुवाना के वारिसान प्रतित होते है। वर्तमान जमाबंदी के अवलोकन से जाहिर है कि मूल खसरा नं 601/706 मे से किये गये दोनो आवंटनों के नये खसरा नं 772/601 व 781/601 है।

प्रार्थीगण द्वारा पेश वर्तमान ऑनलाईन नक्शे के अवलोकन से जाहिर है कि मूल खसरा नं मूल खसरा नं 601/706 मे से किये गये दोनो आवंटनों के नये खसरा नं 772/601 व 781/601 की तरमीम उत्तर पूर्व दिशा के बजाय पश्चिम दिशा में कर रखी है जो गलत है। प्रार्थीगण द्वारा पेश वादग्रस्त आराजी के लट्ठा नक्शा के अवलोकन से जाहिर है कि खसरा नं 601 के लगवा उत्तर पूर्व में पूर्व की भांती मूल खसरा नं 601/706 दर्ज है और इस मूल खसरा नं 601/706 में से आवंटन के बाद बने नये खसरा नम्बरान 772/601 व 781/601 की लाल स्याही से पश्चिम की ओर तरमीम करना प्रतित होता है। अतः स्पष्ट है कि तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा लाल स्याही से नये आवंटित खसरों की तरमीम खसरा नं 601/706 में की जानी चाहिये थी, ना की खसरा नं 601 में। तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा बिना किसी सक्षम प्राधिकार के लाल स्याही से नियम विरूद्ध तरमीम की गई है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है।

9. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128, 131, व 136 के अनुसार भू–सर्वे एवं रिकार्ड ऑपरेशन की कार्यवाही ... होने के बाद नक्शे एवं फिल्ड बुक में किसी गांव या गांव के हिस्से ... सीमाओं, ऐस्टेट या फिल्ड/खसरे की सीमाओं में ज्ञात होने वाली किसी त्रुटि को या राजस्व रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:15:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

के निरीक्षण के दौरान ज्ञात किसी भी प्रकार की त्रुटि को लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत दुरूस्त किया जाता सकता है और ऐसे प्रत्येक परिवर्तन का इन्द्राज वार्षिक रजिस्टर में किया जावेगा। राजस्व रिकार्ड में भू प्रबन्धन एवं सर्वे की कार्यवाही के दौरान, सेग्रीगेशन के दौरान, नामा0 तस्दीक करते समय, फर्द–बदर/चौसाला तैयार करते समय राजस्व कार्मिकों द्वारा मूल प्रविष्टि में की गई लिपिकीय त्रुटि या रेकार्ड के निरीक्षण के दौरान भू अभिलेख अधिकारी को ज्ञात त्रुटि को धारा 136 एलआरएक्ट के अधीन भू अभिलेख अधिकारी द्वारा दुरूस्त किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम सिरपोई गुजरान के मूल ख.नं. 601/706 मे से किये गये आवंटनों की पालना में खोले गये नामा.सं. 153 व 155 दिनांक 05.04.1983 की राजस्व रिकार्ड व नक्शे में अमल दरामद करते समय नये ख.न. 772/601 एवं ख.नं. 781/601 की तरमीम त्रुटीपूर्ण रूप से खसरा नं 601 मे की गई जिसे विधि विरूद्ध होने से धारा 131 एलआरएक्ट के अधीन दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। धारा 131 एलआरएक्ट के प्रावधान निम्नानुसार है :–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

131. Maintenance of Map and Field Book – After the survey and record operations are over, the map and the field book shall be maintained by the Land Records Officer, in accordance with the rules made by the State Government in that behalf and he shall cause, annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe, to be recorded therein all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or field and shall correct any errors which are shown to have been made in such map or field book.

10. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम सिरपोई गुजरान तहसील रायपुर की आराजी ख.नं. 601, ख.नं. 772/601 एवं ख.नं. 781/601 के राजस्व नक्शे में तरमीम दुरूस्ती के संबंध में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:15:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

10

—::क्रियात्मक आदेश::—

11. परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल. आर.एक्ट बावत राजस्व नक्शे में तरमीम दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है। ग्राम सिरपोई गुजरान तहसील रायपुर की आराजी हाल ख.नं. 772/601 एवं ख.नं. 781/601 की तरमीम खसरा नं 601 के स्थान पर उत्तर पूर्व दिशा में लगवा स्थित मूल खसरा नं 601/706 में किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व नक्शा में दुरूस्ती करे।

यह निर्णय आज दिनांक 13.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/3/2026

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:15:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner